<u>पोलनेट/बेतार संदेश/फैक्स के माध्यम से</u>

प्रापक:- सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के स्टेशन अधीक्षक/संयुक्त सहायक निदेशक (अं.रा.पु.बे. केन्द्र रांची, लखनऊ, जयपुर, जम्मू, शिलांग, शिमला एवं त्रिवेन्द्रम, अगरतला, बैंगलुरू, दमन, पटना, दिसपुर, गंगटोक और मुंबई केन्द्रों को छोड़कर)

प्रेषक - सहायक निदेशक (राजभाषा), स.नि.पु. बेतार मुख्यालय

संख्या- ए. 20011/4/2017-हिन्दी, दिनांक 04/09/2019

<u>अति आवश्यक/Most Urgent</u>

रिमाइंडर नम्बर-3 (.) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सितम्बर 2019 की तिमाही बैठक और हिंदी कार्यशाला का आयोजन (.) उपरोक्त सभी केन्द्र प्रभारी कृपया इस विषय पर मुख्यालय के दिनाँक 22 जुलाई 2019 के पत्र सं. ए. 20011/19 (अ)/2019-हिंदी, फैक्स संदेश संख्या ए. 20011/4/2017-हिन्दी, दिनांक 28/08/2019 तथा फैक्स संदेश संख्या ए. 20011/4/2017-हिन्दी, दिनांक 02/09/2019 का संदर्भ ग्रहण करें (.) सितम्बर 2019 तिमाही में आपके केन्द्र में यह बैठक अगस्त माह के तीसरे सप्ताह से पहले आयोजित होनी अपेक्षित थी और इसकी सूचना इस निदेशालय में भेजी जानी थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (.) निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आज दिनांक 04 सितम्बर 2019 को आयोजित हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया गया है (.) निदेशक महोदय ने सख्त निर्देश दिया है कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी तथा तीन बार अनुस्मारक जारी करने के बाद भी जो केन्द्र समय पर रिपोर्ट नहीं देता है उस केन्द्र के जिम्मेदार व्यक्ति की वेतन रोकने संबंधी कार्रवाई की जाएगी (.) कृपया इसे प्राथमिकता दें और निदेशालय द्वारा मांगी गयी रिपोर्ट या सूचना समय पर भेजना सुनिश्चित करें (.) अत: पुन: अनुरोध किया जाता है कि इस तिमाही में (सितम्बर 2019 तिमाही) आपके कार्यालय में आयोजित की गई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक तथा आयोजित हिंदी कार्यशाला की तारीख के बारे में दिनांक 09 सितम्बर 2019 तक इस निदेशालय के हिंदी अनुभाग और लेखा अनुभाग में भेजना सुनिश्चित करें/-

---

04.09.2019.

(डॉ आर के सिंह)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

<u>प्रतिलिपि</u>:-

लेखा अधिकारी, स.नि.पु.बे.: कृपया आपके सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।